

18-4-17

पत्रावली मूल प्रकरण संख्या 269/12 के साथ दिनांक 30-5-17 को पेश हो

30-5-17

पत्रावली मूल प्रकरण संख्या 269/12 के साथ दिनांक 29-6-17 को पेश हो

29-6-17

पिरोकार राज हल्का पटनावीर-कमील के पत्रावली संख्या पत्रावली मूल प्रकरण सं. 269/12 के साथ दिनांक 25.7.17 को पेश हो

15.7.17

पत्रावली आज विशेष लोक अदालत में पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। शर्मा-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A मूल प्रकरण 177 R.T.A के साथ पेश किया गया। मूल प्रकरण न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया में विचारार्थ है। धर्मि-शर्मा-पत्र 212 R.T.A एवं 177 R.T.A एक ही प्रवृत्ति के प्रकरण हैं। तथा 212 R.T.A के शर्मा पत्र का निस्तारण मूल प्रकरण 177 की सुनवाई के साथ ही होना है। अतः अलग से 212 R.T.A की सुनवाई का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता; आवश्यकता पड़ने पर धारा 177 की पत्रावली में अन्तर्ग्राहित आदेश दिया जा सकता है। अतः यह प्रकरण (पत्रावली) 177 R.T.A की मूल पत्रावली सं. 269/2012 के साथ सम्मिलित (club) की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मूल वाद सं. 269/2012 के साथ शामिल की जावे।

(प्रधान अद्वैत)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर